OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, YAMUNA NAGAR-JAGADHRITender Notice/Community participation

SHORT TERMS TENDER NITICE INVITING ITEM RATE ONLINE

On behalf of Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri on-line E-Tenders on http://www.etenders.hry.nic.in are hereby invited herewith from the eligible contractor/Agencies for following works:-

Sr.No	Name of Work:- Repair & Maintenance of street light points	Total No. of Street light points	Bid document cost	EMD (In Lac)	Time limit One Year	Tender Document download and Bid submission		Tender opening Date
						Start	end	
1	**Sector-1 (W. No. 1 to 6) Huda Sector-17&18 and main Road at M.C. Ynr-Jgd.**	Tube 1x40 = 4764 Sodium 150/250W= 1985 CFL36/72W = 395 T-5-28W = 636 LED 25/45/60/72 = 200 Highmast 150/ 250/400W = 193 **Total point =8173**	Rs.1000/-	2.50	**One Year** 01.02.17 to 31.12.17	06.01.17	12.01.17 3.00 PM up to	13.01.17
2	**Sector-3 (W. No. 13 to 20) and main Road at M.C. Ynr-Jgd.**	Tube 1x40 = 4301 Sodium 150W = 980 CFL36/65/72W = 383 LED 25/45/60/72 = 300 Highmast 150/ 250/400W = 119 **Total points =6083**	Rs.1000/-	2.50	**One Year** 01.02.17 to 31.12.17	06.01.17	12.01.17 3.00 PM up to	13.01.17

GENERAL INSTRUCTIONS/CONDITIONS

1. Earnest money in shape of D.D. should be in favour of Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri The E.M. of successful Firm, will be returned after expiry of contract period which is one year without interest. .
2. Contractor/Firm should have a valid license from Chief Elec. Inspector Haryana along with minimum 2 years experience in this field.
3. Contractor/Firm will be bound to keep one team per ward for maintenance of street light point and each team will comprises with one qualified Electrician and one experienced helper. Each team should be equipped with necessary Tool Kit, and ordinary/motorized stair as per requirement.
4. Contractor/Firm is advised to quote the rate including material & labour per point per month for maintenance of street light.
5. Contractor/Firm should quote rates only for one work in the interest of corporation/public.
6. **Contractor must submit the Manual Bid/Document up to 12.01.2017 at 5:00 PM.**
7. Commissioner Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri reserve the right to change/Add/remove any term and condition.
8. All other terms and conditions and detail of points can be seen on Website www.mcynr.com and www.etenders.hry.nic the office of Municipal Engineer on any working days.

Municipal Engineer,
For: Commissioner,
Municipal Corporation
Yamuna Nagar-Jagadhri.

वर्ष 2017 -2018 के स्ट्रीट लाईट की रिपेयर व रखरखाव के ठेके की नियम व शर्तेः-

1. एजैंसीं/इच्छुक व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार की स्ट्रीट लाईट के रखरखाव व मुरम्मत के कार्य हेतु (सामान व मजदूरी सहित) प्रति मास प्रति प्वाईंट की दर से देना होगा तथा अपनी निविदा के साथ 2,50,000/-रूपये की धरोहर राशि जमानत के तौर पर निगम कोष में नकद/डी0डी0 के रूप में जमा करवानी होगी जो असफल निविदादाताओं को ठेके का कार्य अलाट करने के बाद ही लौटाई जायेगी तथा सफल निविदादाता को रखरखाव का कार्य संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने उपरान्त बिना ब्याज के वापिस लौटाई जायेगी । यदि ठेकेदार/एजैंसी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल धरोहर राशि अथवा इसका भाग जब्त भी किया जा सकता है ।

2. स्ट्रीट लाईट के रख रखाव के लिए आवश्यकता अनुसार कुशल तकनीकी कारीगर/यंत्र/संयंत्र/उपकरण व मशीनरी/सीढ़ी का प्रबंध ठेकेदार द्वारा उसके स्तर पर किया जायेगा

3. प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाईट की रिपेयर के लिए कर्मचारियों की अलग-2 टीम बनाई जायेगी तथा प्रत्येक वार्ड में किसी एक निश्चित स्थान पर शिकायत पुस्तिका रखेगा ताकि सम्बन्धित वार्ड के लोगों द्वारा अपने-2 क्षेत्र की स्ट्रीट लाईट से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवा सके तथा प्रति दिन एक टीम प्रत्येक वार्ड में भेजकर वार्ड में रखी गई शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकातयें एवं सम्बन्धित पार्षद से सम्पर्क करके शिकायतों का निपटान करेगी।

4. ठेकेदार/एजैंसी के पास मुख्य बिजली निरीक्षक हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा जारी किये गये लाईसैंस के साथ-साथ नगरनिगम/नगरपरिषद/हुड्डा/पी0डब्ल्यू0डी0 व किसी भी सरकारी विभाग में स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के संतोषजनक कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

5. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव हेतु प्रयोग में आने वाला भिन्न-2 तरह का बिजली का सामान जैसे बल्ब, सोडियम लैम्प, टयूब रोड, चोक, ईगनेटर इत्यादि उच्च श्रेणी जैसे फिलिप्स, बजाज, क्रम्पटन कम्पनी व PWD Approved का ही प्रयोग में लाया जायेगा तथा केबल/कन्डक्टर व पी0वी0सी0 वायर PWD Approved ही प्रयोग में लाई जायेगी व प्रयोग किये जाने वाले हर सामान की किसी भी समय जांच निगम के उच्च अधिकारियों/तकनीकी स्टाफ (निगम अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/रोशनी निरीक्षक) द्वारा की जा सकती है। बिजली का यह सामान उच्च श्रेणी अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न पाये जाने की सूरत में वह सामान जब्त करते हुए निगम के सक्षम अधिकारी को यथा योग्य जुर्माना लगाने का अधिकार होगा ।

6. स्ट्रीट लाईट के रखरखाव का कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार अनुभवी व कुशल कारीगर तथा कार्य करने के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरण व सामान जैसे छोटी व बड़ी सीढ़ी, हर प्रकार के टूल किट्स, सुरक्षा से जुड़ा सामान बैल्ट इत्यादि का प्रबन्ध ठेकेदार अपने स्तर पर करेगा और रखरखाव का कार्य करने वाले हर स्टाफ सदस्य की पूर्ण पते व टैलीफोन नम्बरों सहित सूचि नगरनिगम को उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त निगम की उपलब्ध दो एल्यूमिनियम सीढ़ियां ठेकेदार पूर्व की भांति इस्तेमाल करेगा तथा इस दौरान होने वाली खराबी दूर करने व रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

7. ठेकेदार/एजेंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव में प्रयुक्त होने वाला सामान कन्डक्टर को छोड़कर अन्य आवश्यक सामग्री जैसे टयूब रोड़, सोडियम बल्ब, चौक, स्टारटर, सर्विस केबल, पी0वी0सी0केबल, तारें होल्डर, सी0एफ0एल0, अपने स्तर पर बिजली का सामान फिलिप्स/बजाज/क्रम्पटन कम्पनी का अथवा PWD Approved कम्पनी का ही इस्तेमाल करने का पाबन्द होगा। अगर भूमिगत केवल खराब होती है तो भी ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर पी0बी0सी0 तार डालकर उक्त प्वांईटस तब तक चालू रखने का पाबंद होगा जब तक नगर निगम द्वारा नई केवल नहीं डाली जाती।

8. हर प्रकार के बन्द पड़े स्ट्रीट लाईट प्वांईटस को द्वितीय पक्ष द्वारा 48 घन्टे की समय अवधि में चालू करना होगा। इस अवधि के दौरान प्वाईट ठीक न करने पर पांच दिनों तक भी ठीक नहीं किया जाता तो पहले 5 दिन का 50/-रूपये प्रति प्वाईट के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जायेगा, (यानि कि शिकायत की तिथि से) पांच दिनों के बाद अगर प्वाईंटस ठीक न होने पर पहले पांच दिन का 50/- के हिसाब से और फिर छठे दिन से आगे तक 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जायेगा ।

9. स्ट्रीट लाईट को चालू व बन्द करने के लिए सम्बन्धित लाईनों पर लगे स्विच को निगम द्वारा मौसम वार निर्धारित समय पर आन-आफ करने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी । निर्धारित समय के अतिरिक्त यदि स्ट्रीट लाईट के चालू रहने पर बिजली के खर्च की नाजायज बढ़ौतरी/अनावश्यक खर्च की राशि की कटौती लिखित सूचना अनुसार ठेकेदार/एजेंसी को किये जाने वाले मासिक भुगतान में से की जायेगी ।

10. निगम के अधिकारियों/अधिकृत स्टाफ की अनुमति/देखरेख के बिना किसी भी स्ट्रीट लाईट प्वाईट के साथ अनावश्यक छेड़छाड/स्थान परिवर्तन आदि अपने स्तर पर करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा। यदि किसी समय ऐसा पाया जाता है तो नगरनिगम के सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा । ऐसी सूरत में किसी भी समय ठेका रद्द भी किया जा सकता है ।

11. स्ट्रीट लाईट की फिटिंग इत्यादि की देखरेख जैसे कि कलम्प व बरैकट इत्यादि का ठीक तरह से रखने का कार्य भी इसी स्ट्रीट लाईट के रखरखाव में शामिल है । इसके अलावा ठेकेदार हर प्रकार के स्ट्रीट लाईट के प्लास्टिक व कांच के शीशे इत्यादि ठीक

प्रकार की स्थिति में रखने का पाबन्द होगा । किसी प्राकृतिक आपदा के समय व दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की सूचना तुरन्त निगम कार्यालय में ठेकेदार द्वारा दी जानी आवश्यक है । यदि समय पर सूचना नहीं दी जाती तो उस नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।

12. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से कर्मचारी को होने वाले नुकसान/कलेम इत्यादि के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा उनके बीमे इत्यादि के लिए भी ठेकेदार जिम्मेवार होगा तथा हर प्रकार से लेबर नियमों की पालना करते हुए लेबर-ला के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा ।

13. ठेकेदार/एजैंसी विद्युत विभाग की लाईनों पर कार्य करने की स्वीकृति सम्बन्धित विभाग से स्वयं प्राप्त करेगा ।

14. ठेकेदार द्वारा निगम के दोनो यमुनानगर व जगाधरी क्षेत्रों में अलग-अलग दो शिकायत केन्द्र/कार्यालय भवन अपने खर्च पर स्थापित किये जाने अनिवार्य है। इन दोनों शिकायत केन्द्र/भवनों में अनुभवी स्टाफ के साथ-साथ कम्पयूटर, टैलीफोन व स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के लिए शिकायत पुस्तिक रखनी होंगी । स्ट्रीट लाईट की शिकायतें दर्ज कराने हेतु इन दोनों शिकायत केन्द्रों के पते व उनमें उपलब्ध टैलीफोन नम्बरों की सूचना शहर के सभी चौराहों पर बोर्ड लगाकर तथा केबल टी0वी0 के माध्यम से आम नागरिकों के लिए विज्ञापित करना अनिवार्य होगा और नगर निगम में खोली गई हैल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों का निपटान निर्धारित अवधि में करना होगा व उनके निपटान का कम्पयूटराईज्ड विवरण निगम के मुख्य कार्यालय (यमुनानगर) की लाईट शाखा को प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाना होगा । जिसके अभाव में रखरखाव के लिए की जाने वाली मासिक अदायगी में किसी प्रकार की कटौती की जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी ।

15. ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि नगर निगम कार्यालय की हैल्पलाईन से प्रतिदिन प्राप्त स्ट्रीट लाईट की शिकायतें नोट करने का पाबंद रहेगा तथा अगले दिन निपटान करने उपरान्त कार्यालय में रिर्पोट करेगा ।

16. ठेके की अवधि समाप्त होने पर आखरी 1 माह की अदायगी तब तक नहीं की जायेगी जब तक ठेकेदार स्ट्रीट लाईट के सभी प्वाईटस चालू हालत में नगरनिगम को नहीं सौंप देगा। ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर नगरनिगम 15 दिन का नोटिस देकर ठेका समाप्त करके ठेकेदार की जमानत की राशि जब्त कर सकती है ।

17. स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के दौरान विभाग व ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकूला का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

18. ठेकेदार/एजैंसी द्वारा स्ट्रीट लाईट के रखरखाव के लिए इस ठेके की अवधि के दौरान पड़ने वाले राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त व 26 जनवरी को स्टेडियम स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए नगरनिगम की मांग अनुसार अस्थाई लाईट का प्रबन्ध करेगा तथा

दीवाली के पर्व पर नगर निगम के यमुनानगर-जगाधरी कार्योलयो पर रोशनी की सजावट का प्रबंध करेगा अथवा इन कार्यो पर होने वाले खर्च की भरपाई ठेकेदार को अपने स्तर/खर्चे पर करनी होगी ।

19. किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी व विद्युत विभाग की लाईन की खराबी से होने वाले नुकसान का ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।

20. ठेके की अवधि में नगरनिगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगवाये जाने वाले नये स्ट्रीट लाईट प्वाईटस को चालू व बन्द करने की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की होगी तथा नये लगे प्वाईट की गारंटी अवधि के पश्चात् ठेके में अनुबन्धित दरों पर इन प्वाईटस की रिपेयर व रख रखाव का कार्य करना होगा ।

21. आयुक्त नगरनिगम को जनहित के मध्यनजर उपरोक्त किसी भी शर्त में संशोधन अथवा शर्त को खत्म करने व किसी अन्य शर्त को लागू करने का अधिकार होगा ।